कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया

पत्रांक /2015 न0पा0परि0 (2015–16) दिनांक : 29-12-15

अल्पकालिक निविदा–सूचना

इससे प्रभावित होने वाले फर्मों/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु पालिका द्वारा क्रय किये किये गये विद्युत सामग्रीयों को पालिका सीमान्तर्गत स्थापन कार्य कराना है जिसके लिये दिनांक– 08-01-2016 को अपराहन 3 बजे तक निम्नलिखि शर्तों एवं नियमों के अधीन मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदादाताओं अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों के उपस्थिति में खोली जायेगी। सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र नगरपालिका परिषद गौरा बरहज कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक– 05-01-2016 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि नगद जमा धनराशि की रसीद या एफ0डी0आर0/ एन0एस0सी0 /के0वी0पी0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र में करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छाया–प्रति मान्य नहीं होगी। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस एवं समय के अन्दर कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से प्राप्त की जा सकती है। सामग्री आपूर्ति के निविदा प्रपत्र आयकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को ही विक्रय की जायेगी।

अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। ठेका स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेबसाईट www.deoria.nic.in पर उपलब्ध होगा।

कार्य का विवरण

क्रम सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अन्तिम तिथि
1.	नगरपालिका परिषद गौरा बरहज द्वारा क्रय किये गये विद्युत सामग्रीयों को पालिका सीमान्तर्गत विद्युत पोलो पर स्थापित करने हेतु मजदूरी का कार्य।	10000.00	100.00	15.03.2016

नोटः– स्थल पर (पी0बी0सी0 केबल 35 इस्कवायर एम0एम0 सिंगल कोर हेवेल्स मेक, केबल 2.5 इस्कवायर एम0एम0 सिंगल कोर, पी0सी0सी0 पोल क्लैम्प एवं नट बोल्ट सहित, एम0एस0 पोल क्लैम्प एवं नट बोल्ट सहित, साईकिल इन्सुलेटर, केबल ज्वाईन्टर व टेप) आदि विद्युत सामग्रीयों की आपूर्ति नगरपालिका परिषद गौरा बरहज द्वारा करायी जायेगी।

नियम व शर्ते–

1. निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र एवं पंजियन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सामग्री आपूर्ति में पालिका द्वारा निर्धारित जमानत/धरोहर धनराशि किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 आदि को निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग–अलग जमानत हेतु कि0वि0प0/ एन0एस0सी0/बैंक एफ0डी0आर0 /पी0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा।
3. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह कें अन्दर फर्म/ठेकेदार को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा। कार्य/दर स्वीकृति के पश्चात् अनुबन्ध तीन दिन के अन्दर न करने पर ठेका अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
4. ठेकेदार/फर्म को कार्य नियत समय के अन्दर करना होगा। यदि निर्धारित समय तक कार्य नहीं हुआ तो ठेकेदार/फर्म की जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।

5. जमानत की धनराशि, आपूर्ति की गयी सामग्री संतोष जनक पाये जाने पर अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
6. निविदादाता को अपनी निविदा मजदूरी दर स्पष्ट रूप से प्रति मीटर में देनी होगी।
7. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।
8. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
9. किसी भी ठेकेदार अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जायेगी।
10. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
11. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
12. सम्बन्धित फर्मो/दुकानों/एजेन्सीयों द्वारा अपने फर्म/दुकान/एजेन्सी के लेटर पैड पर निविदा प्रपत्र में दिये गये दर के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर क्रय सामग्री का निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तो तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
15. निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया।

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक 921 (N) /15 न0पा0परि0 (2015–16) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "स्वतन्त्र चेतना" एवं "राष्ट्र की परम्परा" को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया